पत्र सं०-को०प्र०/कम्प्यूटर-07/2015........2137........./

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव(व्यय) ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना ।
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक-..20/03/2020

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2019-20 के समाप्ति माह मार्च के अंतिम दिन दिनांक-31.03.2020 को CFMS में निष्पादित किया जाने वाले कार्यों के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंतिम माह मार्च समाप्ति पर है । इसे देखते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजटीय उपबंध के विरूद्ध स्वीकृत राशि के निकासी एवं शेष बजट का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2020 तक आवश्यक है । CFMS प्रणाली के लागू होने के फलस्वरूप वित्तीय व्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं । इसी के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम माह मार्च के अंतिम दिन दिनांक-31.03.2020 को CFMS में निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के संबंध में निम्न निदेश दिये जाते हैं :-

1. वित्त विभागीय पत्रांक-997 दिनांक-06.02.2020 के आलोक में सभी तरह के विपत्र नियमानुसार तैयार कर तय तिथि के अनुसार निश्चित रूप से संबंधित कोषागार को उपलब्ध करायेंगे ।
2. वित्त विभागीय पत्रांक-997 दिनांक-06.02.2020 के कंडिका (4) में उल्लेखित विपत्र एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में तैयार किये गये विपत्र को दिनांक-31.03.2020 को सभी विभाग/क्षेत्रीय कार्यालयें द्वारा 03:00 बजे अपराहृन तक तैयार कर e-Sign करके संबंधित कोषागार को प्रेषित कर दिया जाय । उक्त अवधि के पश्चात् CFMS में विपत्र बनाने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी ।
3. कोषागार द्वारा विभिन्न कार्यालयें से प्राप्त सभी विपत्रों को अपराहृन 06:00 बजे तक e-Sign कर दिये जायेंगे ।
4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित बजट से अवशेष राशि का प्रत्यर्पण विभागों/कार्यालयें के द्वारा नहीं किया जाना है । CFMS में Auto Surrender का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे दिनांक-31.03.2020 को 12:00 बजे रात्रि में अवशेष बजट उपबंध का स्वतः प्रत्यर्पण हो जायेगा ।

5. CFMS प्रणाली में दिनांक-31.03.2020 को अपराह्न 06:00 बजे से अपराह्न 08:00 बजे तक कोषागार पदाधिकारी मात्र प्रणाली-जनित विपत्र ही पारित कर सकेंगे ।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक-01.04.2020 को CFMS Software आवश्यक Maintenance हेतु Shut Down रहेंगे । दिनांक-02.04.2020 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित बजट प्रावधान, आवंटन एवं स्वीकृत्यादेश के अधीन विभिन्न प्रकार के विपत्रों की प्रविष्टि CFMS Software में करने हेतु उपलब्ध रहेंगे ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्था से सभी संबंधितों को अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक-को०प्र०/कम्प्यूटर-07/2015...2137... दिनांक- 20/03/2020

प्रतिलिपि- श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, वरीय परामर्शी, CFMS Project, TCS Ltd. Patna को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।